

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या.....2521/रप

पटना दिनांक:- 22-10-13

अधिसूचना

चुंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा चैनसिंहपट्टी, थाना नं0 149 परगना- नारेदिगर, थाना- सुपौल, जिला- सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् जिला मुख्यालय आवास की स्थापना के लिए भूमि बैंक योजना के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम- चैनसिंहपट्टी थाना- नं0 149 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 93.33 (तेरानवे एकड़ तैतीस डी0) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:-

पूर्ण खेसरा संख्या:- 705, 717/3676, 740, 741, 741/3679, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 773, 774, 775, 776, 781, 839, 840, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 877, 878, 879, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 923/3696, 924, 925, 926, 969, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 984, 985, 990, 990/3689, 991, 992, 993, 995, 996, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1137, 1169, 1170, 1173, 1177, 1178, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 एवं 1209

अंश खेसरा संख्या:-703, 704, 706, 716, 717, 718, 719, 739, 742, 743, 744, 745, 777, 778, 780, 782, 837, 876, 907, 908, 910, 912, 927, 958, 959, 960, 961, 962, 968, 970, 971, 978, 979, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 994, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1116, 1117, 1119, 1136, 1138, 1168, 1172, 1174, 1175, 1176, 1180, 1181, 1184, 1185, 1186, 1206, 1207 एवं 1208

चौहद्दी:-

उत्तर:-मौजा-चैनसिंगपट्टी का खेसरा संख्या:- 743, 742, 739, 777, 778, 779, 782, 837, 927, 958, 959 एएवं 960

दक्षिण:- मौजा-चैनसिंगपट्टी का खेसरा संख्या:- 1099, 1100, 1085, 1116, 1117, 1119, 1041, 1136, 1138, 1169, 1172, 1173, 1165, 1166, 1181, 1184, 1206, 1207, 1208 एवं 1210

पूरब:- मौजा-चैनसिंगपट्टी का खेसरा संख्या- 971, 768, 963, 962, 961 एवं 960 तथा रास्ता

पश्चिम:-

- रेलवे

W/S


यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचल अधिकारी, सुपौल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार सरकार के आदेश से


समाहर्ता,
सुपौल।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

६/०


सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 25-21/276

दिनांक:- 22-10-13

प्रतिलिपि:-

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों- जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच-पाँच प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्ता, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं अंचल अधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।